मानवाधिकार नीति

प्रस्तावना

मानवाधिकार सर्वव्यापी और मानव के अस्तित्व का एक अभिन्न अंग है; यह अभाज्य है; परस्पर निर्भर और परस्पर संबद्ध है। मानवाधिकार हर एक व्यक्ति को प्राप्त बुनियादी अधिकार हैं चाहे उस व्यक्ति की जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, जातीयता, भाषा, धर्म कुछ भी हो या उसकी हैसियत कुछ भी हो। मानवाधिकार में स्वतंत्र रूप से, दासता से मुक्त, यातना या धमकी से मुक्त जीवन जीने का अधिकार शामिल है जिसमें व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता, बिना किसी भेदभाव काम करने का अधिकार, सहज रूप से शिक्षा प्राप्त करने और सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार शामिल हैं। किसी भी तरह के भेदभाव के बिना हर एक व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त हैं और यह सरकार का दायित्व है कि वे इन अधिकारों का सम्मान और पालन करते हुए इन्हें बढ़ावा दे

लक्ष्य

द ग्रीन्स का लक्ष्य एक ऐसी दुनिया का निर्माण है जहां मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स) (यूडीएचआर) (UDHR) के सिद्धांतों को सार्वभौमिक तौर पर अपनाया जाता हो। ऐसी दुनिया जहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून को प्रधानता दी जाती हो, जहां लोगों और समूहों की मूलभूत स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा और सम्मान करना सरकार के दायित्वों का हिस्सा हो। ये दायित्व विभिन्न समझौतों में वर्णित हैं जिनमें आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र और उसके आदेश पत्र; नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र और उसके आदेश पत्र; और अधिकारों और स्वतंत्रता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शामिल हैं। यह आवश्यक है कि इन अधिकारों को स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर लागू किया जाए।

उद्देश्य

हमारा उद्देश्य एक सुदृढ़ राष्ट्रीय मानवाधिकार व्यवस्था का निर्माण है जो किसी व्यक्ति के नस्ल, लिंग, यौन पसंद/नापसंद या दूसरे कारक जो उस व्यक्ति को भिन्न बनाते हैं, उनकी परवाह किए बिना सभी लोगों के मानवाधिकारों पर निगरानी रखते हुए उनकी रक्षा और उन्हें लागू करती है - और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार निकायों, कानून, और प्रक्रियाओं में भागीदार बनकर उनका पालन करती है।

कार्य

सार्वभौमिक मानवाधिकार मूलभूत अधिकार हैं जिनका सम्मान हर एक देश में होना चाहिए और सभी नागरिकों के लिए इन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण संबंधी, नागरिक और राजनीतिक अधिकार अभिन्न, परस्पर निर्भर करने वाले और परस्पर संबद्ध हैं। इसलिए, द ग्रीन्स -

मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्ध है

- द ग्रीन्स अधिकार और स्वतंत्रता को सुरक्षा प्रदान करने और इन्हें घरेलू कानून में शामिल करने के लक्ष्य से मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) (ILO) सम्मेलन, स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय लेखपत्र और वैश्विक ग्रीन्स चार्टर का समर्थन करेगा।
- लोगों के बीच मानवाधिकारों के विषय में जागरूकता बढ़ाने और अधिकारों को निश्चित रूप से सुरक्षित रखने के लिए स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर कार्य करेंगे
- सुनिश्चित करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग और दूसरे संधि निकायों को पर्याप्त संसाधन मिलते रहें
- मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में स्वस्थ प्राकृतिक पर्यावरण का अधिकार और सभी पीढ़ियों को प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधन प्राप्त करने के अधिकार को शामिल करने के लिए उचित कदम उठाएंगे।
- सुनिश्चित करेगा कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित सिद्धांतों और भावनाओं को सार्वभौमिक और प्रभावी मान्यता प्राप्त हो और उनका पालन भी किया जाए
- पुष्टि करेगा कि सभी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन और उनके वैकल्पिक आदेश पत्रों का पालन किया जा रहा हो
- सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय कानून जो कि सरकार पर बाध्यकारी है वह भी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून को सुरक्षा प्रदान करता हो और राष्ट्रीय स्तर पर उसे बढ़ावा देने के साथ-साथ उसका सम्मान और संरक्षण किया जाता हो
- लोगों के जीवन और वातारण संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने के समान अवसर सुनिश्चित करेगा
- सुनिश्चित रूप से अपने आपको अभिव्यक्त करने और लोगों द्वारा सभा का आयोजन करने के अधिकार को सुरक्षित रखेगा

आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार

- न्यायसंगत और अनुकूल परिस्थिति में कार्य कर पैसे कमाने के अधिकार को और सामाजिक सुरक्षा के अधिकार को सुरक्षा प्रदान करेगा
- सुनिश्चित करेगा कि हर एक व्यक्ति को बिना भेदभाव के समान कार्य के लिए समान वेतन मिले
- सुनिश्चित करेगा कि लोगों का जीवन स्तर यथोचित हो और वे प्राप्त करने योग्य सर्वोत्तम शारीरिक और मानसिक स्वस्थता हासिल कर सके।
- सुनिश्चित रूप से शिक्षा के अधिकार को सुरक्षा प्रदान करेगा और लोगों को सांस्कृतिक स्वतंत्रता और वैज्ञानिक प्रगति के लाभ प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा

सामुदायिक अधिकार

- हर एक व्यक्ति पर प्रधान संस्कृति या सरकार के मूल्यों और उनकी जीवनशैली के अनुरूप चलने के लिए दबाव बनाए बिना उसे समान अधिकार प्रदान करेगा और सामुदायिक दायित्वों का महत्व समझाएगा
- समझेगा कि समुदाय - चाहे वे सशक्त हों या उपेक्षित हों यानी कि उनके साथ भेदभाव किया जाता हों - इन दोनों प्रकार के समुदायों को कानून की सुरक्षा की आवश्यकता है; इस सुरक्षा को निष्पक्ष रूप से प्रदान किया जाना चाहिए चाहे लोगों की जाति, नस्ल, आस्था, धर्म, लिंग, भौगोलिक स्थिति या अन्य स्थिति कुछ भी हो।
- स्थानीय समुदायों के साथ साझेदारी से निर्मित कानूनी सुरक्षा के माध्यम से प्रकृति के जीवित रहने और पनपने के अधिकारों का समर्थन करेगा

- किसी संगठन द्वारा ऐसी गतिविधि करने का प्रस्ताव रखना जिससे समुदाय के अधिकारों का हनन हो रहा हो, ऐसी स्थिति में समुदाय और पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने हेतु कानून बनाएगा
- महिलाओं द्वारा निर्णय लेने के अधिकार को सुरक्षा प्रदान करेगा जिसमें महिला द्वारा बिना भेदभाव या दबाव के अपनी प्रजनन क्षमता को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल है।
- महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन संधि (सीईडीएडब्ल्यू) (CEDAW) का समर्थन करेगा
- स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र का समर्थन करेगा और स्वदेशी लोगों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय निकायों की स्थापना करना और इन निकायों के माध्यम से उनके कार्य करने के निर्णयों का समर्थन करेगा
- स्वदेशी और जनजातीय लोगों द्वारा अपने जीवन को नियंत्रित करने के अधिकार, भूमि के अधिकार समर्थन करेगा; साथी ही, उनके अपने जीवन यापन के लिए मानवीय और पारिस्थितिक तंत्र के अनुकूल तरीकों तथा पारंपरिक माध्यमों द्वारा शिकार करने और मछली पकड़ने के अधिकारों का भी समर्थन करेगा

अंतर्राष्ट्रीय

- सुनिश्चित करना कि सरकार अपने राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्यों के दौरान योजनाओं में मानवाधिकारों के उल्लंघन का रोकथाम करती हो
- विरोधियों को डराने के लिए राजनीतिक हिंसा के उपयोग की उतनी ही निंदा करेगा जितनी अत्याचार, अवैध रूप से जेल में बंदी बनाने, बिना रोकटोक व्यक्तिगत डेटा प्रकटीकरण या पश्चिमी सरकारों द्वारा असामान्य प्रस्तुतिकरण की निंदा की जाती है
- मानवाधिकारों का हनन करने वाली तानाशाही और शासनों के विरुद्ध कदम उठाएगा चाहे उनके राजनीतिक दावे कुछ भी हो
- जेल बंद राजनीतिक कैदियों को छुड़ाएगा और सुनिश्चित करेगा कि समय पर अत्याचारियों को न्याय मिले
- महिलाओं और बच्चों की तस्करी तथा हर प्रकार की गुलामी की रोकथाम करेगा
- अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय को बढ़ावा देते हुए उसकी भूमिका को और सुदृढ़ करेगा और उपलब्ध सभी साधनों का उपयोग कर देशों को रोम संविधि को स्वीकृति देने के लिए प्रोत्साहित करेगा
- विदेशों में मानवाधिकारों के हनन का शिकार हुए नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करेगा
- दूसरे देशों से सहमति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों को बढ़ावा देगा जिसमें मानवाधिकारों का हनन करने वाले शासनों और सरकारों पर राजनयिक और वाणिज्यिक दबाव डालने समेत दूसरे उपाय शामिल हैं
- मृत्यु दंड पर रोक लगाएगा, किसी भी मामले में मृत्यु दंड सुनाए जाने पर उसका विरोध करेगा और इसके उन्मूलन के लिए चलाए जाने वाले अभियानों का समर्थन करेगा
- जाती, धर्म, क्षेत्र या विकास के नाम पर जबरन बेदखली, इलाके पर कब्ज़ा और संसाधन प्राप्त करने के लिए भूमि हथियाने की गतिविधियों पर रोक लगाएगा
- बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में समुदायों और प्रकृति के अधिकारों का समर्थन कर उन्हें और विकसित करने, बेहतर और स्पष्ट बनाने के प्रयासों को बढ़ावा देगा

संदर्भ

https://www.un.org/en/sections/issues-depth/human-rights/

https://www.un.org/en/sections/what-we-do/protect-human-rights/

https://www.cagreens.org/platform/human-rights-civil-liberties

https://www.cagreens.org/platform/human-rights-civil-liberties

https://greens.org.au/policies/human-rights

https://www.greens.org.nz/human_rights_policy

https://www.greenparty.ca/en/statement/2019-12-10/green-party-statement-human-rights-day

https://policy.greenparty.org.uk/rr.html

https://indiagreensparty.org/policies/human-rights/

https://www.globalgreens.org/brazil2008/declarations/21_commitments